

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-३)



क्रमांक. एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2010/144329

जयपुर, दिनांक

24 OCT 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वय,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरठी  
स्कीम, समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत  
अधिकारी/कर्मचारी के अधिवार्षिक आयु होने पर कार्यमुक्त के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा/प्रतिनियुक्ति पर पद सृजित है। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरठी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य रोजगार गांरठी परिषद के अन्तर्गत संचालित है। राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जो अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है तथा जिनका वेतन का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रशासनिक मद से किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने से ३ माह पूर्व ही उनके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया जावे। इन्हे किसी प्रकार के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रशासनिक व्यय मद से नहीं किया जाना है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

भवदीय

*ans*  
(शाहीन अली खान)  
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नानुक्रम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजि सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
3. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
6. रक्षित पत्रावली।

*ans*  
अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस